



क्रमांक :

राजस्थान-सरकार

दिनांक

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

1. नाम कर्मचारी मय पद :
2. पिता का नाम :
3. कार्यरत स्थान  
विभाग/कार्यालय/विद्यालय :
4. जन्म तिथि :
5. नियुक्ति तिथि :
6. धारित पद स्थायी/अस्थायी :
7. वेतन श्रृंखला एवं वेतन :
8. स्थायी पता :
9. विकलांग होने का विवरण :  
" अ " कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है  
" ब " विकलांगता का विवरण
10. प्रमाण - पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी  
स्रोत से विकलांगता/वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

शिक्षक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम :

पद :

कार्यरत स्थान :

11. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की अभिशंषा :

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

1323

क्रमांक प.4(32) वित्त/राजस्व/2010

जयपुर, दिनांक 22 JUL 2010

आयुक्त,  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

ADDI (INS)



विषय:-नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों पर बीमा योजना में उनके वेतन खण्ड दर पर लागू दर से अधिक प्रीमियम देने के संबंध में।  
संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ.32/बीमा/व्यय एवं प/81-82/250 दिनांक 17.06.2010


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्रांक प.4(25)वित्त/रा.ले.-1/79 दिनांक 04.12.81 द्वारा नेत्रहीन कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी जारी करने एवं इस विभाग के पत्रांक प.4(7) वित्त/रा.ले.-1/93 दिनांक 25.02.94 द्वारा विकलांग कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः उक्त पत्रों की निरन्तरता एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित कोटे के अनुसार होने तथा उनका जीवन भी अन्य कर्मचारियों की तरह सामान्य जीवन मानते हुए उनके वेतन खण्ड पर लागू दर से अधिक 1-2 स्लेब आगे तक प्रीमियम स्वीकार किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

  
विशेषाधिकारी

ADDI (INS)  
462  
26-7-10

30(90)

54  
23/7/10

sup o lny  
180  
26/7/10

90  
27-7-10

कार्यालय आयुक्त, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग  
मुख्यालय जयपुर.

क्रमांक/एफ- 32/बीमा/व्य.प./81-82/364/434 दिनांक:- 30/7/2010

कार्यालय निर्देश संख्या-2/2010-11

वित्त विभाग के पत्र संख्या-प-4/(32) वित्त/ राजस्व/ 2010 /दि. 22.07.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निर्देश दिये जाते हैं कि अब विकलांग एवम् नेत्रहीन कर्मचारियों के जीवन को भी सामान्य जीवन मानकर जारी बीमा पॉलिसी पर उनके वेतन खण्ड पर लागु दर से अधिक प्रीमियम देने का विकल्प मान्य होगा।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को अन्य कोई गम्भीर रोग हो तो अन्य कर्मचारियों की भाँति बीमा नियम 1998 के नियम-11 के उप निये 4 प्रत्येक अतिरिक्त बीमा प्रारूप सं. 1 में यह अतिरिक्त घोषण करने अध्यक्षीन होगा कि पॉलिसी धारक नियम 8(3) में यह उल्लेखित किन्हीं भी रोगों से ग्रसित नहीं था।

अधिक जौखिम हेतु बीमा नियम-1998 के नियम-11(I) (II) एवम् 11 (2) के अन्तर्गत वृद्धि शील वसूलियों आगामी मार्च माह से की जावेगी। पूर्व तिथि से अधिक कटौति कराये जाने का बीमा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

आयुक्त

क्रमांक/एफ- 32/बीमा/व्य.प./81-82/364/434 दिनांक:- 30/7/2010  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (01) निजी सहायक, आयुक्त महोदय।
- (02) समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर।
- (03) समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर
- (04) सभी सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्भाग कार्यालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
- (05) उप/सहायक निदेशक, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालय
- (06) रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा)  
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

No.F.6(6)FD/Rules/2010

Jaipur, dated : 25 APR 2012

ORDER

**Subject : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopedically Handicapped Government Servants.**

The Governor is pleased to order that in para 1 of Finance Department Order No. F. 10(4)FD(Gr.2)/76 dated 13.03.1984 as amended vide order dated 18.08.1989, 02.05.1998 and 12.09.2008 the existing words and figures "@3% of their basic pay not exceeding Rs. 300/- per month" shall be substituted by the words and figures "@6% of their basic pay not exceeding Rs. 600/- per month".

This order shall come into force with effect from 01.04.2012.

शैक्षिक समाचार राजस्थान

By order of the Governor,

(Akhil Arora)

Secretary to the Government  
Finance (Budget)

Copy forwarded to the -

1. Principal Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

No.F.6(6)FD/Rules/2010

Jaipur, dated : 25 APR 2012

ORDER

**Subject : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopedically Handicapped Government Servants.**

The Governor is pleased to order that in para 1 of Finance Department Order No. F. 10(4)FD(Gr.2)/76 dated 13.03.1984 as amended vide order dated 18.08.1989, 02.05.1998 and 12.09.2008 the existing words and figures "@3% of their basic pay not exceeding Rs. 300/- per month" shall be substituted by the words and figures "@6% of their basic pay not exceeding Rs. 600/- per month".

This order shall come into force with effect from 01.04.2012.

By order of the Governor,

(Akhil Arora)

Secretary to the Government  
Finance (Budget)

Copy forwarded to the -

1. Principal Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

1323

क्रमांक प.4(32) वित्त/राजस्व/2010

जयपुर, दिनांक 22 JUL 2010

आयुक्त,  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

ADDI (INS)



विषय:-नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों पर बीमा योजना में उनके वेतन खण्ड दर पर लागू दर से अधिक प्रीमियम देने के संबंध में।  
संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ.32/बीमा/व्यय एवं प/81-82/250 दिनांक 17.06.2010


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्रांक प.4(25)वित्त/रा.ले.-1/79 दिनांक 04.12.81 द्वारा नेत्रहीन कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी जारी करने एवं इस विभाग के पत्रांक प.4(7) वित्त/रा.ले.-1/93 दिनांक 25.02.94 द्वारा विकलांग कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः उक्त पत्रों की निरन्तरता एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित कोटे के अनुसार होने तथा उनका जीवन भी अन्य कर्मचारियों की तरह सामान्य जीवन मानते हुए उनके वेतन खण्ड पर लागू दर से अधिक 1-2 स्लेब आगे तक प्रीमियम स्वीकार किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

  
विशेषाधिकारी

ADDI (INS)  
462  
26-7-10

30(90)

54  
23/7/10

sup o sup  
180  
26/7/10

90  
27-7-10

कार्यालय आयुक्त, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग  
मुख्यालय जयपुर.

क्रमांक/एफ- 32/बीमा/व्य.प./81-82/364/434 दिनांक:- 30/7/2010

कार्यालय निर्देश संख्या-2/2010-11

वित्त विभाग के पत्र संख्या-प-4/(32) वित्त/ राजस्व/ 2010 /दि. 22.07.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निर्देश दिये जाते हैं कि अब विकलांग एवम् नेत्रहीन कर्मचारियों के जीवन को भी सामान्य जीवन मानकर जारी बीमा पॉलिसी पर उनके वेतन खण्ड पर लागु दर से अधिक प्रीमियम देने का विकल्प मान्य होगा।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को अन्य कोई गम्भीर रोग हो तो अन्य कर्मचारियों की भाँति बीमा नियम 1998 के नियम-11 के उप निये 4 प्रत्येक अतिरिक्त बीमा प्रारूप सं. 1 में यह अतिरिक्त घोषण करने अध्यक्षीन होगा कि पॉलिसी धारक नियम 8(3) में यह उल्लेखित किन्हीं भी रोगों से ग्रसित नहीं था।

अधिक जौखिम हेतु बीमा नियम-1998 के नियम-11(I) (II) एवम् 11 (2) के अन्तर्गत वृद्धि शील वसूलियों आगामी मार्च माह से की जावेगी। पूर्व तिथि से अधिक कटौति कराये जाने का बीमा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

आयुक्त

क्रमांक/एफ- 32/बीमा/व्य.प./81-82/364/434 दिनांक:- 30/7/2010  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (01) निजी सहायक, आयुक्त महोदय।
- (02) समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर।
- (03) समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर
- (04) सभी सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्भाग कार्यालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग \_\_\_\_\_
- (05) उप/सहायक निदेशक, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालय \_\_\_\_\_
- (06) रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा)  
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग



निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद .....
- 2 पिता का नाम .....
- 3 कार्यरत स्थान .....
- विभाग / कार्यालय / विद्यालय
- 4 जन्मतिथि .....
- 5 नियुक्ति तिथि .....
- 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी .....
- 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन .....
- 8 स्थायी पता .....
- 9 विकलांग होने का विवरण
- "अ" कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है .....
- "ब" विकलांगता का विवरण .....
- 10 प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी स्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंषा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

क्रमांक :

राजस्थान-सरकार

दिनांक

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

1. नाम कर्मचारी मय पद :
2. पिता का नाम :
3. कार्यरत स्थान  
विभाग/कार्यालय/विद्यालय :
4. जन्म तिथि :
5. नियुक्ति तिथि :
6. धारित पद स्थायी/अस्थायी :
7. वेतन श्रृंखला एवं वेतन :
8. स्थायी पता :
9. विकलांग होने का विवरण :  
" अ " कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है  
" ब " विकलांगता का विवरण
10. प्रमाण - पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी  
स्रोत से विकलांगता/वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम :

पद :

कार्यरत स्थान :

11. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की अभिशंषा :

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 12.03.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा परिवीक्षण काल /स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक : 26/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
5. श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 12.03.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा परिवीक्षण काल /स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक : 26/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
5. श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद .....
- 2 पिता का नाम .....
- 3 कार्यरत स्थान .....
- विभाग / कार्यालय / विधालय
- 4 जन्मतिथि .....
- 5 नियुक्ति तिथि .....
- 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी .....
- 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन .....
- 8 स्थायी पता .....

- 9 विकलांग होने का विवरण 

"अ" कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है .....

"ब" विकलांगता का विवरण .....

- 10 प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी स्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंभा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/ रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अंतर्गत श्री मुख्त्यार सिंह व्याख्याता इतिहास, राउमावि 6 एफ.ए. रडेवाला, श्रीकरणपुर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 05.04.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे छः सौ रुपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/विकलांग वाहन भत्ता/2019

दिनांक:- 16/4/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबंधित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य.....
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

No. F. 6(6)FD/Rules/2010

Jaipur, dated: 30 MAY 2022


**Order**

Sub:- Grant of Conveyance Allowance to Blind, Deaf and Dumb and Orthopedically Handicapped Government Servants.

The Governor is pleased to order that in para 1 of Finance Department Order No. F.10(4)FD(Gr.2)/76 dated 13.03.1984 as amended vide order dated 18.08.1989, 02.05.1998, 12.09.2008, 25.04.2012 and 17.08.2016, the existing words and figures "@6% of their basic pay not exceeding Rs. 600/- per month" shall be substituted by the words and figures "@6% of their basic pay not exceeding Rs. 1200/- per month".

This order shall come into force with effect from 01.04.2022.

By order of the Governor,



(Sudhir Kumar Sharma)  
Secretary to the Government  
Finance (Budget)


Copy forwarded to -

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur.
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
9. Director, Pension and Pension Welfare Departments, Rajasthan, Jaipur
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.

13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
15. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
16. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

  
30/5/22

**(Suresh Kumar Verma)**  
**Joint Secretary to the Government**

(RSR - 22/2022)



# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 12.03.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मवकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा परिवीक्षण काल /स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक : 26/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
5. श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक :

राजस्थान-सरकार

दिनांक

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

1. नाम कर्मचारी मय पद :
2. पिता का नाम :
3. कार्यरत स्थान  
विभाग/कार्यालय/विद्यालय :
4. जन्म तिथि :
5. नियुक्ति तिथि :
6. धारित पद स्थायी/अस्थायी :
7. वेतन श्रृंखला एवं वेतन :
8. स्थायी पता :
9. विकलांग होने का विवरण :  
" अ " कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है  
" ब " विकलांगता का विवरण
10. प्रमाण - पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी  
स्रोत से विकलांगता/वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम :

पद :

कार्यरत स्थान :

11. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की अभिशंषा :

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद .....
- 2 पिता का नाम .....
- 3 कार्यरत स्थान  
विभाग / कार्यालय / विद्यालय .....
- 4 जन्मतिथि .....
- 5 नियुक्ति तिथि .....
- 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी .....
- 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन .....
- 8 स्थायी पता .....
- 9 विकलांग होने का विवरण  
"अ" कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है .....
- "ब" विकलांगता का विवरण .....
- 10 प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी स्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंषा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

1323

क्रमांक प.4(32) वित्त/राजस्व/2010

जयपुर, दिनांक 22 JUL 2010

आयुक्त,  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

ADDI (INS)



विषय:-नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों पर बीमा योजना में उनके वेतन खण्ड दर पर लागू दर से अधिक प्रीमियम देने के संबंध में।  
संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ.32/बीमा/व्यय एवं प/81-82/250 दिनांक 17.06.2010


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्रांक प.4(25)वित्त/रा.ले.-1/79 दिनांक 04.12.81 द्वारा नेत्रहीन कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी जारी करने एवं इस विभाग के पत्रांक प.4(7) वित्त/रा.ले.-1/93 दिनांक 25.02.94 द्वारा विकलांग कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः उक्त पत्रों की निरन्तरता एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित कोटे के अनुसार होने तथा उनका जीवन भी अन्य कर्मचारियों की तरह सामान्य जीवन मानते हुए उनके वेतन खण्ड पर लागू दर से अधिक 1-2 स्लेब आगे तक प्रीमियम स्वीकार किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

  
विशेषाधिकारी

ADDI (INS)  
462  
26-7-10

30(90)

54  
23/7/10

sup o lny  
180  
26/7/10

90  
27-7-10

कार्यालय आयुक्त, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग  
मुख्यालय जयपुर.

क्रमांक/एफ- 32/बीमा/व्य.प./81-82/364/434 दिनांक:- 30/7/2010

कार्यालय निर्देश संख्या-2/2010-11

वित्त विभाग के पत्र संख्या-प-4/(32) वित्त/ राजस्व/ 2010 /दि. 22.07.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निर्देश दिये जाते हैं कि अब विकलांग एवम् नेत्रहीन कर्मचारियों के जीवन को भी सामान्य जीवन मानकर जारी बीमा पॉलिसी पर उनके वेतन खण्ड पर लागु दर से अधिक प्रीमियम देने का विकल्प मान्य होगा।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को अन्य कोई गम्भीर रोग हो तो अन्य कर्मचारियों की भाँति बीमा नियम 1998 के नियम-11 के उप निये 4 प्रत्येक अतिरिक्त बीमा प्रारूप सं. 1 में यह अतिरिक्त घोषण करने अध्यक्षीन होगा कि पॉलिसी धारक नियम 8(3) में यह उल्लेखित किन्हीं भी रोगों से ग्रसित नहीं था।

अधिक जौखिम हेतु बीमा नियम-1998 के नियम-11(I) (II) एवम् 11 (2) के अन्तर्गत वृद्धि शील वसूलियों आगामी मार्च माह से की जावेगी। पूर्व तिथि से अधिक कटौति कराये जाने का बीमा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

शिक्षक समाचार राजस्थान

आयुक्त

क्रमांक/एफ- 32/बीमा/व्य.प./81-82/364/434 दिनांक:- 30/7/2010  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (01) निजी सहायक, आयुक्त महोदय।
- (02) समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर।
- (03) समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर
- (04) सभी सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्भाग कार्यालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
- (05) उप/सहायक निदेशक, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालय
- (06) रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा)  
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

No.F.6(6)FD/Rules/2010

Jaipur, dated : 25 APR 2012

ORDER

**Subject : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopedically Handicapped Government Servants.**

The Governor is pleased to order that in para 1 of Finance Department Order No. F. 10(4)FD(Gr.2)/76 dated 13.03.1984 as amended vide order dated 18.08.1989, 02.05.1998 and 12.09.2008 the existing words and figures "@3% of their basic pay not exceeding Rs. 300/- per month" shall be substituted by the words and figures "@6% of their basic pay not exceeding Rs. 600/- per month".

This order shall come into force with effect from 01.04.2012.

By order of the Governor,

(Akhil Arora)

Secretary to the Government  
Finance (Budget)

Copy forwarded to the -

1. Principal Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Secretariat, Jaipur.

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 12.03.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा परिवीक्षण काल /स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक : 26/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
5. श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर  
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग  
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद .....
- 2 पिता का नाम .....
- 3 कार्यरत स्थान .....
- विभाग / कार्यालय / विधालय
- 4 जन्मतिथि .....
- 5 नियुक्ति तिथि .....
- 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी .....
- 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन .....
- 8 स्थायी पता .....
- 9 विकलांग होने का विवरण  
 "अ" कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है .....
- "ब" विकलांगता का विवरण .....
- 10 प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी स्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंभा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील



# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/ रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अंतर्गत श्री मुख्त्यार सिंह व्याख्याता इतिहास, राउमावि 6 एफ.ए. रडेवाला, श्रीकरणपुर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 05.04.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे छः सौ रुपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/विकलांग वाहन भत्ता/2019

दिनांक:- 16/4/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबंधित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य.....
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर